प्रारंभिक परीक्षा

रेपो दर

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने लगातार 11वीं द्विमासिक समीक्षा के लिए नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया।

रेपो दर (पुनर्खरीद दर) क्या है?

यह वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के बदले में ऋण देता है।

MPC द्वारा रेपो दर का उपयोग कैसे किया जाता है?

- **मुद्रास्फीति नियंत्रण**: MPC मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के लिए रेपो दर को समायोजित करती है।
    - उच्च रेपो दर से बैंकों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है और मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है।
    - इसके विपरीत, कम रेपो दर से उधार देने में वृद्धि होती है और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है।
- **तरलता प्रबंधन**: रेपो दर में परिवर्तन करके, MPC वित्तीय प्रणाली में तरलता को प्रभावित करती है।
    - ऊंची दर से तरलता कठिन हो जाती है, जबकि कम दर से तरलता की स्थिति आसान हो जाती है।
- **आर्थिक विकास**: रेपो दर अर्थव्यवस्था में समग्र ब्याज दरों को प्रभावित करती है।
    - रेपो दर कम करने से उधार और निवेश को बढ़ावा मिलता है, जिससे आर्थिक विकास को समर्थन मिलता है।
    - इसे बढ़ाने से अति ताप या मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने के लिए विकास को धीमा किया जा सकता है।
- **विनिमय दर स्थिरता**: रेपो दर में परिवर्तन पूंजी प्रवाह और निवेशक भावना को प्रभावित करके रुपये के मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

रेपो दर अपरिवर्तित रखने के कारण

- **लगातार उच्च मुद्रास्फीति**: अक्टूबर में मुद्रास्फीति 14 महीने के उच्चतम स्तर 6.2% पर पहुंच गई , जो RBI के 4% के आरामदायक स्तर से अधिक है।
    - MPC का ध्यान मुद्रास्फीति को 4% के लक्ष्य के साथ स्थायी रूप से संतुलित रखने पर बना हुआ है।
- **विकास संबंधी चिंताएं**: जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर सात तिमाहियों के निम्नतम स्तर 5.4% पर आ गई, जो RBI के 7% के अनुमान से कम है।
    - MPC ने 2024-25 के लिए विकास पूर्वानुमान को 7.2 % से संशोधित कर 6.6% कर दिया , जो कमजोर विकास गति को दर्शाता है।
- **अनिश्चित आर्थिक वातावरण**: प्रतिकूल मौसम की घटनाएं, भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं और वित्तीय बाजार में अस्थिरता जैसे कारक मुद्रास्फीति और विकास के लिए जोखिम पैदा करते हैं।
    - MPC ने मुद्रास्फीति नियंत्रण और विकास को समर्थन देने के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखने के लिए 'तटस्थ' रुख बनाए रखा है।
- **तरलता की कठिन परिस्थितियाँ**: विकास चुनौतियों के बावजूद, प्रणाली में तरलता की कठिन परिस्थितियाँ बनी हुई हैं।

- इस समस्या के समाधान के लिए, बैंकिंग प्रणाली में ₹1.16 लाख करोड़ डालने के लिए नकद आरक्षित अनुपात (CRR) को 50 आधार अंकों की कटौती करके 4% कर दिया गया।

नकद आरक्षित अनुपात (CRR)

- **यह बैंक की सार्वजनिक जमाराशि का वह प्रतिशत है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास नकदी भंडार के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए।**
- इससे यह सुनिश्चित होता है कि बैंकों के पास ग्राहकों की निकासी मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि हो तथा तरलता का प्रबंधन प्रभावी ढंग से हो सके।
- **CRR,** RBI की मौद्रिक नीति में एक महत्वपूर्ण साधन है, जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करता है।
- उच्च मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान, RBI **CRR** बढ़ा देता है, जिससे उधार के लिए उपलब्ध धनराशि सीमित हो जाती है, जिससे अतिरिक्त तरलता को कम करने और बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
- इसके विपरीत, धीमी आर्थिक वृद्धि के समय, **CRR** को कम करने से बैंकों को अधिक स्वतंत्र रूप से उधार देने की सुविधा मिलती है, जिससे निवेश को प्रोत्साहन मिलता है और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है।

स्रोत: **द हिंदू: उच्च मुद्रास्फीति के बीच, RBI ने रेपो दर 6.5% पर बरकरार रखी**

संस्था को अल्पसंख्यक का दर्जा देने का मानदंड

संदर्भ

कर्नाटक सरकार ने उस मानदंड को हटा दिया है जिसके तहत अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों का न्यूनतम प्रतिशत अनिवार्य था।

अल्पसंख्यक दर्जे का कानूनी आधार

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1): "सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार देता है।"**
- **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (NCMEI) अधिनियम, 2004**: NCMEI को शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने का अधिकार देता है।
    - यह विधेयक अल्पसंख्यक समुदायों को मान्यता के लिए आवेदन करने तथा अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित शिकायतों के समाधान हेतु एक तंत्र प्रदान करता है।

पात्रता मापदंड

- **धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक**: संस्था की स्थापना और प्रशासन ऐसे समुदाय द्वारा किया जाना चाहिए जिसे उस विशिष्ट राज्य में अल्पसंख्यक, चाहे वह धार्मिक हो या भाषाई, के रूप में मान्यता प्राप्त हो जहां संस्था स्थित है।
- **अल्पसंख्यकों की मान्यता**: राष्ट्रीय स्तर पर, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों को **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) अधिनियम, 1992 के तहत अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी गई है**:
    - मुसलमान
    - ईसाई
    - सिख
    - बौद्ध
    - पारसी (पारसी)
    - जैन (2014 में जोड़ा गया)
- **राज्य-विशिष्ट मान्यता:** अल्पसंख्यक का दर्जा राज्य स्तर पर निर्धारित किया जाता है, अर्थात एक समुदाय एक राज्य में अल्पसंख्यक हो सकता है लेकिन दूसरे में नहीं।
    - उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में तमिल या तमिलनाडु में कन्नड़ लोग उन राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं।
- **अल्पसंख्यक स्थिति का प्रमाण**: संस्था को यह प्रदर्शित करना होगा कि इसकी स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों द्वारा की गई है।
    - शासी निकाय या प्रबंधन में मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य शामिल होने चाहिए।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने की शर्तें -

- **प्राथमिक उद्देश्य**: शैक्षिक एजेंसी के उपनियमों में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि संस्था का मुख्य उद्देश्य उस अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की सेवा करना है जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है।
- **कोई धार्मिक बाध्यता नहीं**: संस्था को छात्रों या कर्मचारियों को किसी भी धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए।
- **कानूनों का अनुपालन**: संस्था को शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू सामान्य कानूनों का पालन करना होगा।
- **वित्तीय शोषण नहीं**: संस्था को वित्तीय लाभ के लिए अपनी अल्पसंख्यक स्थिति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

- **शुल्क विनियमन**: संस्था द्वारा ली जाने वाली फीस संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फीस के अनुरूप होनी चाहिए।
- **शिक्षक नियुक्तियाँ**: शिक्षकों की नियुक्ति उपयुक्त वैधानिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए।
- **विनियामक अनुपालन**: सभी शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करना होगा।
- **सद्भाव को बढ़ावा देना**: संस्था को ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए जो सांप्रदायिक या सामाजिक सद्भाव को बाधित करती हों।
- **सीट आवंटन**: अल्पसंख्यक छात्रों के लिए आवंटित सीटों का 50 प्रतिशत 'निःशुल्क' और 'भुगतान' श्रेणियों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए।

अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकार और लाभ

- **प्रशासन में स्वायत्तता**: प्रवेश नीतियों, पाठ्यक्रम और कर्मचारियों की नियुक्तियों के प्रबंधन में अधिक स्वतंत्रता।
- **सरकारी हस्तक्षेप से संरक्षण**: सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि शैक्षिक मानकों को सुनिश्चित करना आवश्यक न हो।
- **कुछ कानूनों से छूट**: अल्पसंख्यक संस्थानों को शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 जैसे कानूनों के कुछ प्रावधानों से छूट दी गई है, विशेष रूप से प्रवेश के संबंध में।

मुख्य निर्णय

- **टीएमए पई फाउंडेशन केस (2002)**: अल्पसंख्यक संस्थानों को बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप के अपने संस्थानों का प्रशासन करने के अधिकारों को स्पष्ट किया गया।
- **प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ (2014)**: निर्णय दिया गया कि अल्पसंख्यक संस्थान आरटीई अधिनियम के 25% आरक्षण अधिदेश से बाध्य नहीं हैं।

स्रोत: [द हिंदू: कर्नाटक सरकार ने संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के नियम में ढील दी]

नागरिकता

संदर्भ

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 5 से 11

- **अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ में नागरिकता**
  - **26 जनवरी 1950** को भारत में रहने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान की गई यदि वे:
    - भारत में जन्मे हों, या
    - माता-पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या
    - संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम पांच साल तक भारत में निवास किया हो।
- **अनुच्छेद 6: पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार**
  - **19 जुलाई 1948** से पहले पाकिस्तान से आये प्रवासी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते है यदि वे:
    - प्रवास के बाद से भारत में रह रहे थे, या
    - पंजीकरण से पहले कम से कम छह महीने तक भारत में रहने के बाद खुद को नागरिक के रूप में पंजीकृत कराया।
- **अनुच्छेद 7: पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार**
  - जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में पुनर्वास परमिट के तहत भारत लौट आए, वे पंजीकरण के माध्यम से नागरिक बन सकते हैं।
- **अनुच्छेद 8: विदेश में रहने वाले भारतीयों के नागरिकता के अधिकार**
  - भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोग (उन क्षेत्रों में जहां उनके पूर्वज भारत में पैदा हुए थे) भारतीय राजनयिक या कांसुलर कार्यालयों में नागरिकों के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं।
- **अनुच्छेद 9: दोहरी नागरिकता नहीं**
  - कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है।
- **अनुच्छेद 10: अधिकारों की निरंतरता**
  - कानून द्वारा प्रदत्त नागरिकता के प्रावधान तब तक जारी रहेंगे जब तक संसद द्वारा उनमें परिवर्तन नहीं किया जाता।
- **अनुच्छेद 11: संसद की शक्ति**
  - यह विधेयक संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है।

नागरिकता अधिनियम 1955

अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955, भारत में नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने के तरीकों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

नागरिकता प्राप्त करने के तरीके:

- **जन्म से: 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद** लेकिन **1 जुलाई 1987 से पहले** भारत में जन्मे - स्वतः ही नागरिक।
  - **1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004** के बीच जन्मे - यदि माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक है तो वे भारतीय नागरिक हैं।

    - **3 दिसंबर 2004** को या उसके बाद जन्मे व्यक्ति को नागरिक माना जाएगा, यदि माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक है और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है।
- **वंशानुक्रम से**: भारत के बाहर भारतीय नागरिक माता-पिता के यहां जन्मा, एक वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण के अधीन।
- **पंजीकरण द्वारा**: भारतीय मूल के व्यक्तियों या निवास आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भारतीय नागरिकों से विवाहित व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है।
- **देशीकरण द्वारा**: यह नागरिकता किसी विदेशी को दी जाती है जो कम से कम **12 वर्षों से भारत में रह रहा हो** तथा अन्य शर्तों को पूरा करता हो।
- **क्षेत्र के समावेश द्वारा**: यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है, तो सरकार उन लोगों को निर्दिष्ट करती है जो नागरिक होंगे।

नागरिकता खोने के तरीके

- **त्याग द्वारा**: स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग करना।
- **समाप्ति द्वारा**: यदि कोई नागरिक विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो यह स्वतः समाप्त हो जाती है।
- **वंचना द्वारा**: यदि नागरिकता धोखाधड़ी से प्राप्त की गई हो या व्यक्ति देश के हितों के विरुद्ध कार्य करता हो तो सरकार नागरिकता रद्द कर सकती है।

संशोधन

- **CAA** 2019 (नागरिकता संशोधन अधिनियम): पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से सताए गए अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) के लिए नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे।
    - इसमें यह भी कहा गया है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड रखने वाले लोग - एक आव्रजन स्थिति जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक को भारत में अनिश्चित काल तक रहने और काम करने की अनुमति देती है - यदि वे बड़े और छोटे अपराधों और उल्लंघनों के लिए स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं, तो वे अपना दर्जा खो सकते हैं।

दोहरी नागरिकता की अनुमति देने वाले एशियाई देश

- **कंबोडिया:** निवेश, प्राकृतिककरण, वंश या विवाह के माध्यम से दोहरी नागरिकता की अनुमति है। नागरिक अपनी मूल नागरिकता त्यागे बिना कई पासपोर्ट रख सकते हैं।
- **बांग्लादेश:** यह कानून व्यक्तियों को अन्य देशों की नागरिकता रखते हुए बांग्लादेश की नागरिकता बनाए रखने की अनुमति देता है। दोहरी नागरिकता निवेश, विवाह या प्राकृतिककरण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- **श्रीलंका:** यह योजना उन लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान करती है, जिन्होंने किसी अन्य राष्ट्रीयता को प्राप्त करके अपनी श्रीलंकाई नागरिकता त्याग दी है, या जो विदेश से नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, वे दोहरी नागरिकता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के पात्र हैं।
    - नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड में रोजगार, संपत्ति का स्वामित्व, निवेश या श्रीलंकाई नागरिक से विवाह जैसे कारक शामिल हैं।
- **थाईलैंड:** स्थायी निवास, रोजगार और थाई नागरिकों से विवाह जैसे मानदंडों को पूरा करने वाले विदेशियों को दोहरी नागरिकता की अनुमति है।
- **ताइवान:** मूलनिवासी नागरिकों और शिक्षा, विज्ञान या प्रौद्योगिकी में असाधारण कौशल वाले विदेशी नागरिकों को दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है।
- **हांगकांग:** गुणवत्तापूर्ण प्रवासी प्रवेश योजना (क्यूएमएएस) और निवेश के अवसरों जैसी योजनाओं के माध्यम से निवास और संभावित नागरिकता के लिए मार्ग प्रदान करता है।

- **पाकिस्तान:** संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित 19 विशिष्ट देशों के साथ दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है।
- **फिलीपींस:** फिलीपींस में जन्मे व्यक्तियों, फिलीपींस मूल के व्यक्तियों तथा देश के बाहर फिलीपींस माता-पिता से जन्मे व्यक्तियों को दोहरी राष्ट्रीयता की अनुमति है।

स्रोत:

- द हिंदू: राहुल की नागरिकता पर याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
- टाइम्स ऑफ इंडिया

प्रोटेम स्पीकर

संदर्भ

वरिष्ठ भाजपा विधायक कालिदास सुलोचना कोलंबकर ने महाराष्ट्र विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में शपथ ली।

प्रोटेम स्पीकर के बारे में -

प्रोटेम स्पीकर विधानसभा में एक अस्थायी पीठासीन अधिकारी होता है, जब तक कि एक नियमित अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता। चुनावों के बाद नई विधानसभा के प्रारंभिक गठन के दौरान यह भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

मुख्य विशेषताएं और कार्य

- **अस्थायी नियुक्ति**: प्रोटेम स्पीकर केवल तब तक कार्य करता है जब तक कि नियमित स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता।
- **नियुक्ति**: राज्य का राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है।
    - आमतौर पर, विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को अनुभव और पिछले विधायी कार्यकाल के आधार पर इस पद के लिए चुना जाता है।
- **शपथ प्रशासन**: प्रोटेम स्पीकर विधान सभा के नव निर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ दिलाता है।
- **सीमित शक्तियाँ**: प्रोटेम स्पीकर की शक्तियाँ प्रक्रियात्मक कार्यों तक सीमित हैं जैसे:
    - सदस्यों को शपथ दिलाना।
    - नये अध्यक्ष का चुनाव कराना।
    - प्रारंभिक सत्र के दौरान व्यवस्था बनाए रखना।
- **भूमिका का विघटन**: नए अध्यक्ष के निर्वाचित होने और पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद प्रोटेम स्पीकर की भूमिका समाप्त हो जाती है।
- **कानूनी आधार**: भारत के संविधान में इस व्यवस्था का प्रावधान है, हालांकि इसका स्पष्ट रूप से विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया है।
    - यह प्रथा संसदीय परंपराओं और राज्य विधान नियमों का पालन करती है।

स्रोत: द हिंदू: कोलंबकर ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)

संदर्भ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा दी जाने वाली पांच सेवाओं के लिए इस वर्ष एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए **अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (ISSA) का अच्छा अभ्यास पुरस्कार**(**Good Practice Award**) जीता है।

EPFO के बारे में -

- **निकाय**: यह **श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक वैधानिक निकाय है**।
- **स्थापना**: **1 नवम्बर 1951 को गठित**।
- **द्वारा शासित**: **कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952**।
- **उद्देश्य**: अंशदायी भविष्य निधि, पेंशन योजना और बीमा योजना के माध्यम से कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक कल्याण प्रदान करना।
- **प्रशासन: केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी)** द्वारा प्रबंधित, जिसमें सरकार, नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
    - केंद्रीय **श्रम एवं रोजगार मंत्री** सीबीटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

EPFO द्वारा प्रबंधित प्रमुख योजनाएं

- **कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना, 1952**:
    - एक सेवानिवृत्ति बचत योजना जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% योगदान करते हैं।
    - संचित निधि सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र पर उपलब्ध होती है, या निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए आंशिक रूप से निकाली जा सकती है।
- **कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995**:
    - सेवानिवृत्ति (न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा) के बाद कर्मचारियों को मासिक पेंशन प्रदान करता है।
    - लाभों में विधवाओं, बच्चों और कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में आश्रित माता-पिता के लिए पेंशन शामिल है।
- **कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा (EDLI) योजना, 1976**:
    - EPF सदस्यों को जीवन बीमा कवरेज प्रदान करता है।
    - बीमा राशि कर्मचारी के वेतन से जुड़ी होती है, जिसका अधिकतम लाभ ₹7 लाख होता है।

हाल की पहल

- **ई-कार्यवाही:** चूककर्ता नियोक्ताओं से बकाया राशि निर्धारित करने के लिए भौतिक न्यायिक कार्यवाही से ऑनलाइन न्यायिक कार्यवाही में परिवर्तन किया गया।
    - परिणाम:
        - पूछताछ में पारदर्शिता और निष्पक्षता।
        - पूछताछ का समय और देरी कम हो गई।
- **निधि आपके निकट 2.0:** EPFO की उपस्थिति की कमी वाले जिलों में अंतिम छोर तक सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करता है।
    - शिकायतों का समाधान बिना अधिक यात्रा किए कुशलतापूर्वक किया जाता है।
- **बहुभाषी कॉल सेंटर:** 12 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना और शिकायत निवारण प्रदान करता है।
    - सदस्यों की पसंदीदा भाषाओं में मुद्दों को हल करके समावेशिता और सदस्य संतुष्टि को बढ़ावा देता है।

- **प्रयास पहल:** सेवानिवृत्त सदस्यों को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) प्रदान करता है।
    - शीघ्र सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।
- **डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (जीवन प्रमाण पत्र):** पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने के लिए आधार-आधारित **बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करता है।**
    - पेंशनभोगियों के लिए आसानी और सुविधा में सुधार के लिए मान्यता प्राप्त।

संपादकीय सारांश

सार्वजनिक स्वास्थ्य - 1896 के बॉम्बे प्लेग से प्राप्त अंतर्दृष्टि

संदर्भ

आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों का निगरानी, नियंत्रण और शासन के साथ संयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसा कि 1896 के बॉम्बे प्लेग के ऐतिहासिक संदर्भ से स्पष्ट होता है।

1896 बम्बई प्लेग: पृष्ठभूमि

यह एक **ब्यूबोनिक प्लेग प्रकोप था** जो बॉम्बे (अब मुंबई) के व्यस्त बंदरगाह शहर में शुरू हुआ और व्यापार नेटवर्क, खराब रहने की स्थिति और उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण तेजी से औपनिवेशिक भारत में फैल गया। **1899 तक** , महामारी ने **सैकड़ों हज़ारों लोगों की जान ले ली थी** और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में गंभीर कमज़ोरियों को उजागर किया था।

ब्रिटिश राज्य की प्रतिक्रिया

- **भारतीय प्लेग आयोग का गठन (1898)**: **टीआर फ्रेजर के नेतृत्व में**, इस आयोग का उद्देश्य प्लेग के कारण और संक्रमण की जांच करना था। व्यापक जांच और दस्तावेजीकरण के बावजूद, यह प्लेग की उत्पत्ति या संक्रमण के तरीके को निर्णायक रूप से निर्धारित करने में विफल रहा।
- **निगरानी और नियंत्रण पर जोर**: मूल सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने के बजाय, औपनिवेशिक अधिकारियों ने प्लेग को सामाजिक व्यवस्था के मामले के रूप में पेश किया। रोग प्रबंधन पुलिसिंग, निरीक्षण और कारावास पर बहुत अधिक निर्भर था।
    - निरीक्षण केन्द्र, संगरोध शिविर और पुलिस घेराबंदी स्थापित की, तथा प्रभावित व्यक्तियों की पहचान करने के बजाय मानचित्रों के माध्यम से दर्शाया कि कहां लोगों की निगरानी की जा सकती है।
    - यात्रियों की जांच के लिए रेलवे स्टेशनों के पास निरीक्षण शिविर स्थापित किए गए।
    - अस्पतालों और नगर पालिकाओं ने स्वास्थ्य संबंधी उपायों को लागू करने के लिए सैन्य वार्ड अर्दली की नियुक्ति की, जो इस विश्वास को दर्शाता है कि बल प्रयोग से बीमारी पर काबू पाया जा सकता है।
- **स्वास्थ्य निगरानी में पुलिस की भूमिका:** पुलिस स्टेशन डेटा संग्रह के लिए केंद्रीय नोड बन गए , स्थानीय चौकीदार अधिकारियों को मौतों की सूचना देते थे।
    - इस दृष्टिकोण ने ऊपर से नीचे की ओर दबावपूर्ण प्रतिक्रिया को मजबूत किया , तथा सामुदायिक सहभागिता और सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा को दरकिनार कर दिया।
- **शक्ति के साधन के रूप में प्लेग मानचित्र**: महामारी के दौरान बनाए गए मानचित्रों में रेलमार्गों, निरीक्षण स्थलों और घेराबंदी को प्रमुखता से दर्शाया गया, जिससे महामारी की गंभीरता और मानवीय पीड़ा को छिपाते हुए दक्षता का अनुमान लगाया गया।
    - इन मानचित्रों ने औपनिवेशिक आख्यान को पुष्ट किया कि संकट के प्रबंधन के लिए अनुशासन और निगरानी आवश्यक है, तथा प्रभावित समुदायों की दुर्दशा को कमतर करके दिखाया गया।

प्रतिक्रिया की कमियां

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुधारने में विफलता**: प्रतिक्रिया स्वच्छता, आवास या चिकित्सा देखभाल में सुधार करने के बजाय आवागमन को नियंत्रित करने पर केंद्रित थी।
    - निगरानी और पुलिसिंग पर जोर देने से दीर्घकालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य समाधान की आवश्यकता को नजरअंदाज कर दिया गया।

- **सामुदायिक विश्वास का क्षरण**: जबरन संगरोध और निरीक्षण जैसे कठोर उपायों ने स्थानीय आबादी के बीच भय, आक्रोश और अविश्वास को बढ़ावा दिया।
    - समुदायों के साथ जुड़ने या उन्हें रोग के बारे में शिक्षित करने के लिए बहुत कम प्रयास किए गए।
- **अकुशल एवं अमानवीय व्यवहार**: मामलों की पहचान में देरी और खराब समन्वय के कारण रोग और अधिक फैल गया।
    - इस प्रतिक्रिया का गरीब और हाशिए पर पड़े समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिन्हें निगरानी और नियंत्रण उपायों का खामियाजा भुगतना पड़ा।

1896 के बम्बई प्लेग से मुख्य सीखें

- **निगरानी बनाम सार्वजनिक स्वास्थ्य**: प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं में निगरानी और दबाव की तुलना में स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और सामुदायिक सहभागिता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
    - डेटा संग्रहण और मानचित्रण का उद्देश्य स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान करना और उन्हें कम करना होना चाहिए, न कि केवल जनसंख्या को नियंत्रित करना।
- **सामुदायिक विश्वास और सहयोग**: पारदर्शी संचार और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से विश्वास का निर्माण स्वास्थ्य संकटों के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है।
    - सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को दंडात्मक के बजाय सहायक के रूप में देखा जाना चाहिए।
- **नैतिक शासन**: नीतियों में नैतिक विचारों के साथ निरीक्षण का संतुलन होना चाहिए, तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपायों में व्यक्तिगत अधिकारों और सम्मान का सम्मान हो।
    - स्वास्थ्य संकटों को मुख्य रूप से कानून प्रवर्तन या सामाजिक नियंत्रण का मुद्दा मानने से बचें।
- **समतामूलक स्वास्थ्य नीतियां**: स्वास्थ्य रणनीतियों को संरचनात्मक असमानताओं को दूर करना चाहिए तथा सभी समुदायों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान करनी चाहिए।
    - जीवन स्तर, स्वच्छता और चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार पर होना चाहिए।
- **आधुनिक प्रासंगिकता:** कोविड-19 जैसे समकालीन स्वास्थ्य संकट, सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं और राज्य नियंत्रण के बीच समान तनाव को प्रकट करते हैं।
    - सहानुभूति, समानता और साक्ष्य-आधारित प्रथाओं पर आधारित हों।

स्रोत: द हिंदू: सार्वजनिक स्वास्थ्य - 1896 बॉम्बे प्लेग से अंतर्दृष्टि

भारत का विनिर्माण क्षेत्र: विकास, चुनौतियाँ और अवसर

संदर्भ

वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने के भारत के प्रयासों को रणनीतिक नीतिगत पहलों, विशेष रूप से उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से महत्वपूर्ण गति मिली है।

विकास और प्रदर्शन: एएसआई 2022-23 से अंतर्दृष्टि

- **प्रभावशाली क्षेत्रीय विकास:** 2022-23 में विनिर्माण उत्पादन में 21.5% की वृद्धि हुई, जबकि जीवीए में 7.3% की वृद्धि हुई।
    - मूल धातु, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य उत्पाद, रसायन और मोटर वाहन जैसे पीएलआई-कवर क्षेत्रों ने कुल विनिर्माण उत्पादन में 58% का योगदान दिया, जिससे 24.5% की उत्पादन वृद्धि दर्ज की गई।
    - कोविड-19 महामारी के व्यवधानों से उबरना स्पष्ट है, तथा प्रदर्शन महामारी-पूर्व स्तर से आगे निकल गया है।
- **पीएलआई योजना का प्रभाव:** पीएलआई योजना ने निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाई है:
    - **मोबाइल विनिर्माण**
    - **इलेक्ट्रानिक्स**
    - **ऑटोमोबाइल**
    - **दवाइयां**
    - **वस्त्र**
- यह योजना औद्योगिक विकास के साथ नीतिगत समर्थन को संरेखित करने की भारत की क्षमता को रेखांकित करती है।

विनिर्माण क्षेत्र में चुनौतियाँ

- **बढ़ती इनपुट लागत:** 2022-23 में इनपुट कीमतों में 24.4% की वृद्धि हुई, जिससे आउटपुट वृद्धि (21.5%) और जीवीए वृद्धि (7.3%) के बीच उल्लेखनीय अंतर हो गया।
    - कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भरता लागत दबाव को बढ़ा देती है।
- **क्षेत्रीय असंतुलन**: औद्योगिक गतिविधि पांच राज्यों - महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश - में केंद्रित है, जो सामूहिक रूप से निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार हैं:
    - कुल विनिर्माण जीवीए का 54%
    - 55% रोजगार
    - अन्य क्षेत्र विकास में पिछड़ रहे हैं, जिससे राष्ट्रव्यापी विनिर्माण वृद्धि सीमित हो रही है।

विकास और विस्तार के अवसर

- **पीएलआई कवरेज का विस्तार:** परिधान, चमड़ा, जूते और फर्नीचर जैसे श्रम-गहन क्षेत्र पीएलआई विस्तार से लाभान्वित हो सकते हैं।
    - एयरोस्पेस, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) जैसे उभरते उद्योगों में विकास की अपार संभावनाएं हैं।
    - आयात निर्भरता कम करने और घरेलू क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना।
- **एमएसएमई को बढ़ावा देना**: एमएसएमई भारत के विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद में 45% का योगदान करते हैं और 60 मिलियन लोगों को रोजगार देते हैं।
    - पूंजी निवेश सीमा और उत्पादन लक्ष्य को कम करके एमएसएमई के लिए पीएलआई प्रोत्साहनों को तैयार करने से मूल्य श्रृंखलाओं में बेहतर एकीकरण संभव हो सकेगा।

- **महिला कार्यबल भागीदारी में वृद्धि**: विनिर्माण में महिलाओं की भागीदारी से उत्पादन में 9% की वृद्धि हो सकती है (विश्व बैंक का अनुमान)।
    - छात्रावास , शयनगृह और बाल देखभाल सुविधाओं जैसे बुनियादी ढांचे का विकास समावेशिता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है।
- **हरित एवं उन्नत विनिर्माण को बढ़ावा देना:** हरित विनिर्माण और उन्नत प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने से स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हो सकती है।

चुनौतियों पर काबू पाने के लिए नीतिगत सिफारिशें

- **इनपुट लागत पर ध्यान देना:** आयात शुल्क को तीन-स्तरीय प्रणाली में सरल बनाना:
    - कच्चे माल के लिए 0-2.5%
    - मध्यवर्ती के लिए 2.5-5%
    - तैयार माल के लिए 5-7.5%
    - इस रणनीति से इनपुट लागत में कमी आ सकती है, प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हो सकती है, तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण में सुधार हो सकता है।
- **क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना:** भूमि, श्रम, बिजली और बुनियादी ढांचे से संबंधित सुधारों को लागू करने में राज्य-स्तरीय भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
    - औद्योगिक विकास को संतुलित करने के लिए अविकसित क्षेत्रों में निवेश करें।
- **व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाना:** घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नियामक ढांचे को सुव्यवस्थित करना।
    - वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए व्यवसाय करने की लागत कम करना।

भविष्य की संभावनाएं: विकसित अर्थव्यवस्था की ओर

- निरंतर प्रयासों से जीवीए में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ सकती है:
    - वर्तमान में 17% से 2030-31 तक 25% तक।
    - भारत के विकसित अर्थव्यवस्था बनने के दृष्टिकोण के अनुरूप, 2047-48 तक 27% तक।
- इस क्षेत्र में परिवर्तन के लिए पीएलआई योजना जैसी नीतिगत पहलों का लाभ उठाने, समावेशिता को बढ़ावा देने और घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

स्रोत: द हिंदू: विनिर्माण क्षेत्र के पुनरुद्धार पर निर्माण